अजय - बनाम - सुरेश

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11-7-22 वकील उभयपक्ष उप० वास्ते बहस पत्रावली दि० 8-8-22 को पेश हो।	
8/8/22 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने कार्य का बहिष्कार किया है। P.O. साहब ~~दौरे पर/अवकाश पर~~/अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दि०...12/9/22...को पेश हो। रीडर	
12-9-22 वकील उभयपक्ष उप० वास्ते बहस पत्रा० दि० 17-10-22 को पेश हो।	
17-10-22 वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते बहस पत्रा० दि० 7-11-22 को पेश हो।	
7-11-22 वकील उभयपक्ष उप०। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रा० दि० 21-11-22 को पेश हो।	
21-11-22 वकील उभयपक्ष उप०। समयाभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय पत्रा० दि० 5-12-22 को पेश हो।	
5-12-22 वकील उभयपक्ष उप०। सामल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया [illegible] विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर [illegible] दाखिल [illegible] मूल [illegible] के साथ संलग्न रहे।	

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:29:01 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर 31/2017 | तारीख रजू 2.8.2017 | तारीख निर्णय 5.12.2022

अजय पुत्र गुलशन जाति गुर्जर निवासी मिर्जापुर हाल निवासी वार्ड नम्बर 2 गुर्जरों की ढाणीं, ईदगाह के पास, गंगापुर सिटी ——सायल

बनाम

1. सुरेश पुत्र श्यामलाल जाति ब्राह्मण निवासी बैराडा तहसील बामनवास हाल निवासी गुर्जरों की ढाणीं, ईदगाह के पास, गंगापुर सिटी
2. दिनेशचन्द पुत्र महेशचन्द जाति ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी
3. सुशीला देवी पत्नी कैलाशचन्द, स्वर्णकार निवासी पिपलाई तह0बामनवास
4. सरस्वती देवी पत्नी ओमप्रकाश, स्वर्णकार निवासी पिपलाई तह0 बामनवास
5. ममता पत्नी केशव, स्वर्णकार निवासी पिपलाई तहसील बामनवास
6. प्रभू पि0मु0 लड्डू, गुर्जर नि0मिर्जापुर वा0नं03 नगरपालिका के पास गंगापुर
7. सीमादेवी पत्नी राजेन्द्रसिंह, राजपूत नि0तालचिडा हाल निवासी गंगापुरसिटी
8. लैण्ड होल्डर राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी
9. सब रजिस्ट्रार उप पंजीयन अधिकारी गंगापुर सिटी
10. प्रभू पुत्र बंशी,गुर्जर नि0मिर्जापुर वा0नं0 3 नगरपालिका के पास,गंगापुर
11. जम्बू पुत्र कन्हैया,गुर्जर नि0 लेदिया वालों के सामने,जयपुर रोड,गंगापुर
12. रामकेश पुत्र जम्बू,गुर्जर नि0लेदिया वालों के सामने,जयपुर रोड,गंगापुर
13. पप्पू पुत्र हजारी,गुर्जर नि0गुर्जरों की ढाणीं मिर्जापुर ——गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवोकेट सायल की ओर से
श्री आलोक गोयल, एडवोकेट, गैरसायल नं0 2 की ओर से
श्री विकास कुलश्रेष्ठ,एडवाकेट,गैरसायल नं011,12,13 की ओर से

निर्णय

सायल ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि ग्राम मिर्जापुर में भूमि साबिक ख0नं0 49 रकबा 4 बीघा 6 विस्वा, ख0नं0 161 रकबा 3 बीघा 1 विस्वा, ख0नं0 164 रकबा 1 विस्वा, ख0नं0 165 रकबा 1 बीघा 14 विस्वा का इन्द्राज खातेदारी श्रीचन्द, बंशी पुत्रान रघुनाथ जाति गुर्जर निवासी मिर्जापुर के नाम दर्ज रहा है। साबिक ख0नं0 161 से हाल ख0नं0 303 रकबा 0.70 है0 बना है। यह भूमि पैत्रक भूमि है एवं इस भूमि में सायल को जन्म से ही कानूनी अधिकार हासिल हो गए हैं। वंश वृक्षावली के अनुसार भूमि में सायल का, स[illegible] भाई संजय, जुगल किशोर व मोनू उर्फ महेन्द्र का, सायल के पिता गु[illegible] का, सायल के चाचा देवीलाल का व सायल की बुआ कैलाशी व [illegible] का हिस्सा रहा है। सायल के चाचा देवीलाल का इन्तकाल हो चुका है, उसका कोई वारिस नहीं है। उसका हिस्सा सायल के पिता गुलशन में कानूनन मर्ज हो गया है व उस

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 10:29:01 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
(स0मा0)

हिस्से में सायल, सायल के अन्य भाई व बुआ जो कि सायल के पिता गुलशन की बहनें हैं, का बराबर हिस्सा कानूनन होता है। सायल के पिता गुलशन ने खिलाफ कानून, कायदा व बिना किसी अधिकार क्षेत्र के दि0 17.5.2006 को गैरसायल संख्या 8 दिनेशचंद को उक्त आराजियात में से 1/4 हिस्से का बयनामा करा दिया जो कानूनन बहक सायल वोइड व इनइफेक्टिव है। भूमि का विभाजन नहीं हुआ है। भूमि पैत्रक है जिसमें सायल का वाई वर्थ अधिकार रहा है। उक्त आराजियात पर सायल का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त बयनामे के आधार पर गैरसायल संख्या 2 ने दिनांक 23.8.2006 को गैरसायल संख्या 3 श्रीमती सुशीला देवी, गैरसायल संख्या 4 श्रीमती सरस्वती देवी, गैरसायल संख्या 5 ममता व दिनांक 23.8.2006 को सुशीला देवी के हक में वयनामा रजिस्टर्ड करवा दिया जो बहक वादी वोइड व इनइफेक्टिव है। हाल ख0नं0 303 रकबा 0.70 है0 ग्राम मिर्जापुर का वर्तमान इन्द्राज खातेदारी पूर्णरूपेण गलत है। यह पैत्रक भूमि रही है जिसे वय करने का अधिकार सायल के पिता गुलशन को कानूनन नहीं था न ही रहा है। गैरसायल सं0 6 प्रभू पुत्र बंशी, लड्डू पुत्र हरपाल गुर्जर के यहां गोद जा चुका है। उसका भूमि मुतदाविया से कोई वास्ता नहीं है। देवीलाल पुत्र श्रीचन्द का इन्तकाल हो चुका है, उसका कोई वारिस नहीं है। उक्त आराजी सायल, सायल के भाईयों, सायल के पिता व बुआओं की है। रिकार्ड में भूमि की खातेदारी गैरसायल संख्या 2 लगायत 6 के नाम गलत दर्ज होने के कारण व भूमि की कीमत बढ जाने के कारण उनकी नियत में गन्दगी आ गई है एवं सायल को उसके हक हकूक से महरूम रखने की गरज से उसके कब्जे काश्त टीनेन्सी खातेदारी में दखलंदाजी करने पर आमादा हो गए हैं। गैरसायल संख्या 1 सुरेश ने अन्य गैरसायल संख्या 2 लगायत 7 से साज कर सायल को भूमि मुतदाविया से लाभान्वित नहीं होने की धमकी दी व गैरसायल संख्या 2 लगायत 7 भूमि को रहन वय करने पर आमादा हो गए। दिनांक 20.7.2007 को गैरसायल संख्या 11, 12, 13 ख0नं0 303 रकबा 0.70 है0 ग्राम मिर्जापुर पर अनाधिकृत निर्माण करने पर उतारू हो गए व इन्होने उक्त भूमि में टीनशेड डाल दी जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। उक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से टीनशेड का निर्माण कर मौके की स्थिति को बदल दिया इस [illegible] गैरसायलान कृषि भूमि को अकृषि भूमि में तब्दील करने पर आमादा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गैरसायल संख्या 11, 12, 13 के जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वादपत्र इस आशय से पाबंद करवाया जावे कि वे भूमि ख0नं0 303 रकबा 0.70 है0 ग्राम मिर्जापुर की रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:29:01 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
(स०मा०)

एवं सायल के कब्जो काश्त एवं उपयोग उपभोग में माने मदाखलत नहीं करें, किसी प्रकार कोई निर्माण कार्य नहीं करें, भूमि को रहन बय नहीं करें, कृषि से अकृषि भूमि में तब्दील नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर गैरसायलान को तलब किया गया।

गैरसायल संख्या 2 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि सायल के पिता गुलशन द्वारा गैरसायल संख्या 2 दिनेश के पक्ष में विक्रय कर दी, अब सायल को बैनामा चैलेन्ज करने का अधिकार ही नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर करीब 20 वर्ष से खेती नहीं हो रही है। वहां आबादी बस चुकी है तथा वादग्रस्त भूमि आवासीय भूखण्डो के रूप में विकसित हो चुकी है। गैरसायल संख्या 2 के पक्ष में किया गया बैनामा पूर्णरूप से विधिसम्मत है। सायल ने अपनी अवांछित मांग पूरी करने के लिए गलत तथ्यों पर उक्त अवैधानिक दावा व टी0आई0 पेश की है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल नं0 11, 12, 13 की ओर से जबाब इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि सायल का यह लिखना गलत है कि आराजी में उसे वाई वर्थ कानूनी अधिकार हासिल हो गया है। सायल अपने पिता गुलशन के साथ शामिल शरीक रहता है, सायल का जो भी हिस्सा है वह अपने पिता के हिस्से में समाहित रहा है। गुलशन अपने परिवार के साथ शामिल शरीक रहता था इसलिए सायल के पिता गुलशन ने वादग्रस्त आराजी में अपना हिस्सा 1/4 अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिनांक 15.5.2006 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्रत्र कर कब्जा संभलाया है। यदि सायल के पिता ने उक्त वादग्रस्त आराजी खिलाफ कानून व कायदा व बिना किसी अधिकार के विक्रय की है तथा सायल के हितों पर कुठाराघात किया है तो सायल को चाहिए था कि वह अपने पिता के विरूद्ध पुलिस थाना गंगापुर सिटी में रिपोर्ट दर्ज करवाता लेकिन सायल व उसके पिता मिले हुए हैं इसलिए सायल ने अपने पिता के विरूद्ध पुलिस कार्यवाही न कर यह दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है जो पोषणीय नहीं है। सायल के पिता गुलशन द्वारा गैरसायल संख्या 2 के हक में रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 15.5.2006 को निष्पादित कराकर दिनांक 17.5.2006 को पंजीकृत कराया है वह कोई वोइड व इनइफेक्टिव दस्तावेज नहीं है बल्कि विधितः प्रभावी दस्तावेज है। सायल का दिनांक 17.5.2006 के बाद उक्त भूमि पर कब्जा होने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि इसमें भूखण्ड बने हुए हैं। इस भूमि के भूखण्ड संख्या 11 पर पूर्व में सीमा देवी का कब्जा था जिसमें बाउण्ड्री व टीनपोश बना हुआ है जिस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:29:01 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
(स0मा0)

आज भी गैरसायल संख्या 11 व 12 का कब्जा व रहवास है। इस प्रकार भूखण्ड संख्या 12 पर पूर्व में सीमा देवी द्वारा जो गैरसायल संख्या 7 द्वारा बाउण्ड्री करवाकर टीनपोश करवाकर टीनपोश बना रखा था इस पर अब गैरसायल संख्या 13 पप्पू का कब्जा व रहवास है। दिनांक 20.7.2017 को गैरसायल कोई निर्माण नहीं कर रहे थे बल्कि गैरसायल ने इसी अवस्था में ये भूखण्ड खरीदे हैं। इन भूखण्डों पर पूर्व में ही बाउण्ड्रीबाल हो रखी थी व टीनशेड डाला हुआ था। गैरसायल संख्या 12 ने भूखण्ड संख्या 11 को सीमादेवी से दिनांक 9.6.2015 को खरीदा जो इसी अवस्था में खरीदा था तथा तभी से रहवास कर रहा है। इसी प्रकार गैरसायल संख्या 13 ने भूखण्ड संख्या 13 ने भूखण्ड संख्या 12 को सीमादेवी से इसी अवस्था में दि0 5.8.2014 को क्रय किया था तभी से इसमें अपने मवेशी रखता है तथा रहवास कर रहा है तथा गैरसायल संख्या 11 केवल गैरसायल संख्या 12 का पिता है। भूमि पर पूर्व में ही भूखण्ड बनाकर बेच दिए गए हैं। इसमें कभी भी काश्त नहीं की गई है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र टी0आई0 सायल गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण व बदनियतीपूर्वक होने के कारण विरूद्ध गैरसायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में सायल ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2069–72, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2061 से 2064, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2028 से 2031, फोटोकोपी नकल खतौनी भूमि एकीकरण सं0 2016, फोटोकोपी नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध, फोटोकोपी नकल मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण प्रस्तुत किए हैं।

जबाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में किसी भी गैरसायल की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि सायल के पिता की खातेदारी की भूमि रही है जिसे सायल के पिता ने बिना किसी पारिवारिक आवश्यकता के बेचान कर दिया जबकि भूमि [illegible] रही है [illegible] पर सायल का कब्जा काश्त है। गैरसायल नं0 11, 12, 13 ने उक्त भूमि [illegible] टीनशेड डाल दी व मौक की स्थिति को बदल दिया। वे कृषि भूमि [illegible] अकृषि में बदलने पर आमादा हैं। सायल को भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:29:01 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
(स०मा०)

कर रहे हैं इसलिए गैसायलान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किया जावे।

गैरसायलान के विद्वान वकीलों ने अपनी बहस में कहा है कि सायल के पिता ने गैरसायल संख्या 2 को भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र बेची है व गैरसायल संख्या 2 ने भूमि पर भूखण्ड बनाकर जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र कई गैरसायलों को बेचान कर दिया है। भूमि पर विगत 20 वर्षो से काश्त नहीं हो रही है एवं भूमि पर आबादी हो चुकी है। भूमि पर सायल का एवं उसके पिता का कब्जा ही नहीं है। सायल ने गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को निरस्त करने की मांग की है। रजिस्टर्ड विक्रयपत्र सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है, राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं। यह मुकदमा इस न्यायालय में चलने योग्य ही नहीं है। अतः सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2061 से 2064, सं0 2069 से 2072 में गैरसायल संख्या 2 दिनेशचन्द के नाम हिस्सा 1/4 की भूमि बतौर खातेदार दर्ज है। गैरसायलान ने अपने अपने जबाब पेश किए हैं इनमें इन्होने वादग्रस्त भूमि का भूखण्डों के रूप में बेचान हो जाना तथा इन पर आबादी हो जाना बताया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदियों की फोटोप्रतियों से वादग्रस्त भूमि गैरसायलान के नाम खातेदारी में दर्ज होना प्रमाणित है तथा भूमि पर प्रथम दृष्टया केस सायल का नहीं होकर गैरसायलान का प्रमाणित होता है। वादग्रस्त भूमि का रजिस्टर्ड दस्तावेजों द्वारा बेचान हुआ है एवं भूमि पर कब्जा भी सायल का प्रमाणित नहीं है इसलिए सुविधा संतुलन भी सायल के पक्ष में नहीं है। इस दोनों बिन्दुओं का गैरसायलान के पक्ष में प्रमाणित होने के कारण अतुलनीय क्षति का बिन्दु भी गैरसायलान के पक्ष में ही जाता है। फलस्वरूप सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है एवं इस न्यायालय द्वारा दिनांक 2.8.2017 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश वैकेट किया जाता है।

पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो [illegible] के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 5.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:29:01 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)